मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना
(Chief Minister Incentive Scholarship Scheme)

- जूनियर स्तर कक्षा 6 **(Junior level class 6)**
- माध्यमिक स्तर कक्षा 9 **(Secondary level class 9)**
- माध्यमिक स्तर कक्षा 11 **(Secondary level class 11)**

1. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर कक्षा 6) (Chief Minister Incentive Scholarship Scheme for Students (Junior level class 6)

संचालन –

- माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा।

आयोजन –

- राज्य शैक्षिकि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा।

कुल छात्रवृत्तियाँ –

- जूनियर स्तर– विकासखण्ड स्तर पर कुल प्रतिभागी छात्रों के 10 प्रतिशत।

किस स्तर तक (अवधि) –

- योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

छात्रवृत्ति की वर्तमान दर –

- कक्षा 6 के लिए – रु0 600.00 (छह सौ रुपए) प्रति माह।
- कक्षा 7 के लिए – रु0 700.00 (सात सौ रुपए) प्रति माह।
- कक्षा 8 के लिए – रु0 800.00 (आठ सौ रुपए) प्रति माह।

जूनियर स्तर की चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता –

- अभ्यर्थी राज्य में संचालित राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) कक्षा 6 में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।
- अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- अभ्यर्थी के माता–पिता या अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।
- अभ्यर्थी की कक्षा 6 एवं 7 में **उपस्थिति 75%** रही हो।
- अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 6 एवं 7 में **60% प्रतिशत अंक** प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा एवं कक्षा 6 व 7 कक्षा की **परीक्षा में प्राप्तांकों में 5 %** का अधिमान दिया जाएगा।

जूनियर स्तर पर लिखित चयन परीक्षा

- छात्रवृत्ति परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) होंगे।
- इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु दो प्रश्न पत्र होंगे।

  प्रथम प्रश्न पत्र – मानसिक योग्यता परीक्षण (Mental Ability Test-MAT) : शाब्दिक एवं अशाब्दिक तर्कशक्ति एवं संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित 60 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।

  द्वितीय प्रश्न पत्र – शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण (Scholastic Aptitude Test-SAT) : गणित, पर्यावरण विज्ञान एवं भाषा आधारित कुल 60 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
- उत्तर पत्रक हेतु ओ.एम.आर. शीट प्रदान की जाएगी।

2. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 9) (Chief Minister Incentive Scholarship Scheme for Students (Secondary level class 9)

संचालन –

- माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा।

आयोजन –

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा।

कुल छात्रवृत्तियाँ –

- विकासखण्ड स्तर पर कुल प्रतिभागी छात्रों के 10 प्रतिशत।

किस स्तर तक (अवधि) –

कक्षा 9 में चयनित अभ्यर्थी को कक्षा 10 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

छात्रवृत्ति की वर्तमान दर –

- कक्षा 9 एवं 10 के लिए – रु0 900.00 (नौ सौ रुपए) प्रति माह।

जूनियर स्तर की चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता –

- अभ्यर्थी राज्य में संचालित राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 9 में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।
- अभ्यर्थी के माता–पिता या अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।

- अभ्यर्थी की कक्षा 9 एवं 10 में **उपस्थिति 75%** रही हो।
- कक्षा 9 में छात्र द्वारा **70% अंक** प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को कक्षा 9 में प्राप्त अंकों में 5% का अधिमान दिया जाएगा।
- अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

माध्यमिक स्तर पर लिखित चयन परीक्षा–

- छात्रवृत्ति परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) होंगे।
- इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु दो प्रश्न पत्र होंगे।

  प्रथम प्रश्न पत्र – मानसिक योग्यता परीक्षण (Mental Ability Test- MAT) : शाब्दिक एवं अशाब्दिक तर्क शक्ति, संज्ञानात्मक क्षमता पर आधारित 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।

  द्वितीय प्रश्न पत्र – शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण (Scholastic Aptitude Test-SAT) : गणित–20 प्रश्न, विज्ञान– 40 प्रश्न (भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान) तथा सामाजिक विज्ञान–40 प्रश्न (भूगोल, राजनीतिशास्त्र एवं इतिहास) विषयों पर आधारित कुल 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
- उत्तर पत्रक हेतु ओ.एम.आर. शीट प्रदान की जाएगी।

3. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 11)

(Chief Minister Incentive Scholarship Scheme for students (Senior Secondary level class 11)

संचालन –

- माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा।

आयोजन –

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड, द्वारा।

कुल छात्रवृत्तियाँ –

- माध्यमिक स्तर पर (कक्षा 11 एवं 12) : कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में **80% अंक** प्राप्त करने वाले छात्रों को।

किस स्तर तक (अवधि) –

- माध्यमिक स्तर कक्षा 11 व 12

छात्रवृत्ति की वर्तमान दर –

- कक्षा 11 एवं 12 के लिए – रु0 1200.00 (बारह सौ रुपए) प्रति माह।

माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति चयन एवं जारी रखने हेतु अर्हता –

- **माध्यमिक स्तर पर (कक्षा 11) :** कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में **80% अंक** प्राप्त करने वाले छात्रों को।
- अभ्यर्थी राज्य में संचालित राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 11 में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।
- अभ्यर्थी के माता–पिता या अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।

कक्षा 11 व 12 हेतु–

- अभ्यर्थी राज्य में संचालित राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 11 में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो।
- अभ्यर्थी के माता–पिता या अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।
- अभ्यर्थी की कक्षा 11 में **उपस्थिति 75%** रही हो।
- कक्षा 11 की परीक्षा में छात्र द्वारा **75% अंक** प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को कक्षा 11 में **प्राप्त अंकों में 5%** का अधिमान दिया जाएगा।
- अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

****